न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या :297/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/419)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. कुशवन्त सिंह पुत्र नर सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 2. हरबंस सिंह पुत्र नर सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 08.09.2025

उपस्थितः 1.श्री मनीष जागिंड अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

---निर्णय--- **दिनांक : 21.11.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 10 एफए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 37/37 के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 13/1 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 14 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 15 की 0.228 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 57/22 की 0.026 हैक्टेयर की कुल 0.506 हैक्टेयर भूमि वादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता में किला नम्बर 14 की 0.253 हैक्टेयर भूमि दर्ज होनी चाहिए थी। जबकि सहवन से 0.126 हैक्टेयर भूमि दर्ज हो गई है। उक्त रकबा की जमाबन्दी सम्वत 2048 ता 2051 एंव जमाबन्दी सम्वत 2052 ता 2055 में किला नम्बर 14 की 0.253 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2056 ता 2060 में उक्त किला नम्बर 14 लिपिकीय त्रुटि से 0.126 हैक्टेयर दर्ज हो गया। जिसे वादीगण दुरूस्त करवाना चाहते है। वादीगण के रकबा में त्रुटि होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादीगण मुताबिक दस्तावेजो के आधार पर रकबा संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 10 एफए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 37/37 के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 14 की 0.126 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर 0.253 हैक्टेयर भूमि दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 2750 दिनांक 31.10.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक राजस्व ग्राम 10 एफए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 37/37 में कुशवन्त सिंह पुत्र नर सिंह 1/3 हिस्सा, जनकविन्द्र कौर पत्नी कुशवन्त सिंह 1/6 हिस्सा, हरजिन्द्र कौर पत्नी हरबंस सिंह 1/6 हिस्सा, हरबंस सिंह पुत्र नर सिंह 1/3 हिस्सा मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 13/1 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 14 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 15 की 0.228 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 57/22 की 0.026 हैक्टेयर की कुल 0.506 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2048 ता 2051 खाता संख्या 30 मे किला नम्बर 14 की 0.253 हैक्टेयर व जमाबन्दी सम्वत 2052 ता 2056 खाता

सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

संख्या 29 में किला नम्बर 14 की 0.253 हैक्टेयर भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि जमाबन्दी सम्वत 2057 ता 2060 में किला नम्बर 14 की 0.126 हैक्टेयर भूमि सहवन से दर्ज हो गया, जो आज दिनांक तक चला आ रहा है। मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 14 की 0.126 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर 0.253 हैक्टेयर भूमि किया जाना उचित है।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादीगण, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादीगण अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 10 एफए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 37/37 की प्रति, राजस्व ग्राम 10 एफए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2052 ता 2053 के खाता संख्या 29/31 की प्रति, राजस्व ग्राम 10 एफए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2056 के खाता संख्या 25/29 की प्रति, राजस्व ग्राम 10 एफए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2048 ता 2051 के खाता संख्या 31/30 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 10 एफए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 37/37 के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 14 की 0.126 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर 0.253 हैक्टेयर भूमि दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 10 एफए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2052 ता 2053 के खाता संख्या 29/31, राजस्व ग्राम 10 एफए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2048 ता 2051 के खाता संख्या 31/30 में मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 14 सालम दर्ज है। परन्तु राजस्व ग्राम 10 एफए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2056 के खाता संख्या 25/29 में मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 14 की 0.126 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक राजस्व ग्राम 10 एफए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 37/37 में कुशवन्त सिंह पुत्र नर सिंह 1/3 हिस्सा, जनकविन्द्र कौर पत्नी कुशवन्त सिंह 1/6 हिस्सा, हरजिन्द्र कौर पत्नी हरबंस सिंह 1/6 हिस्सा, हरबंस सिंह पुत्र नर सिंह 1/3 हिस्सा मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 13/1 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 14 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 15 की 0.228 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 57/22 की 0.026 हैक्टेयर की कुल 0.506 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2048 ता 2051 खाता संख्या 30 मे किला नम्बर 14 की 0.253 हैक्टेयर व जमाबन्दी सम्वत 2052 ता 2056 खाता संख्या 29 में किला नम्बर 14 की 0.253 हैक्टेयर भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि जमाबन्दी सम्वत 2057 ता 2060 में किला नम्बर 14 की 0.126 हैक्टेयर भूमि सहवन से दर्ज हो गया, जो आज दिनांक तक चला आ रहा है। मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 14 की 0.126 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर 0.253 हैक्टेयर भूमि किया जाना उचित है। अतः वाद पत्र वादीगण रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

—:आदेश:—

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136— भू—राजस्व अधिनियम—1956 भली—भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 10 एफए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू. अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के

सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

खाता संख्या 37/37 के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 14 की 0.126 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर 0.253 हैक्टेयर भूमि दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 21.11 .2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

कुशवन्त सिंह बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर **297/2025**
निर्णय दिनांक :-21.11.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136- भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 10 एफए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 37/37 के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 14 की 0.126 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर 0.253 हैक्टेयर भूमि दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 21.11.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांकः रीडर/2025/859 दिनांकः 21.11.2025

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर